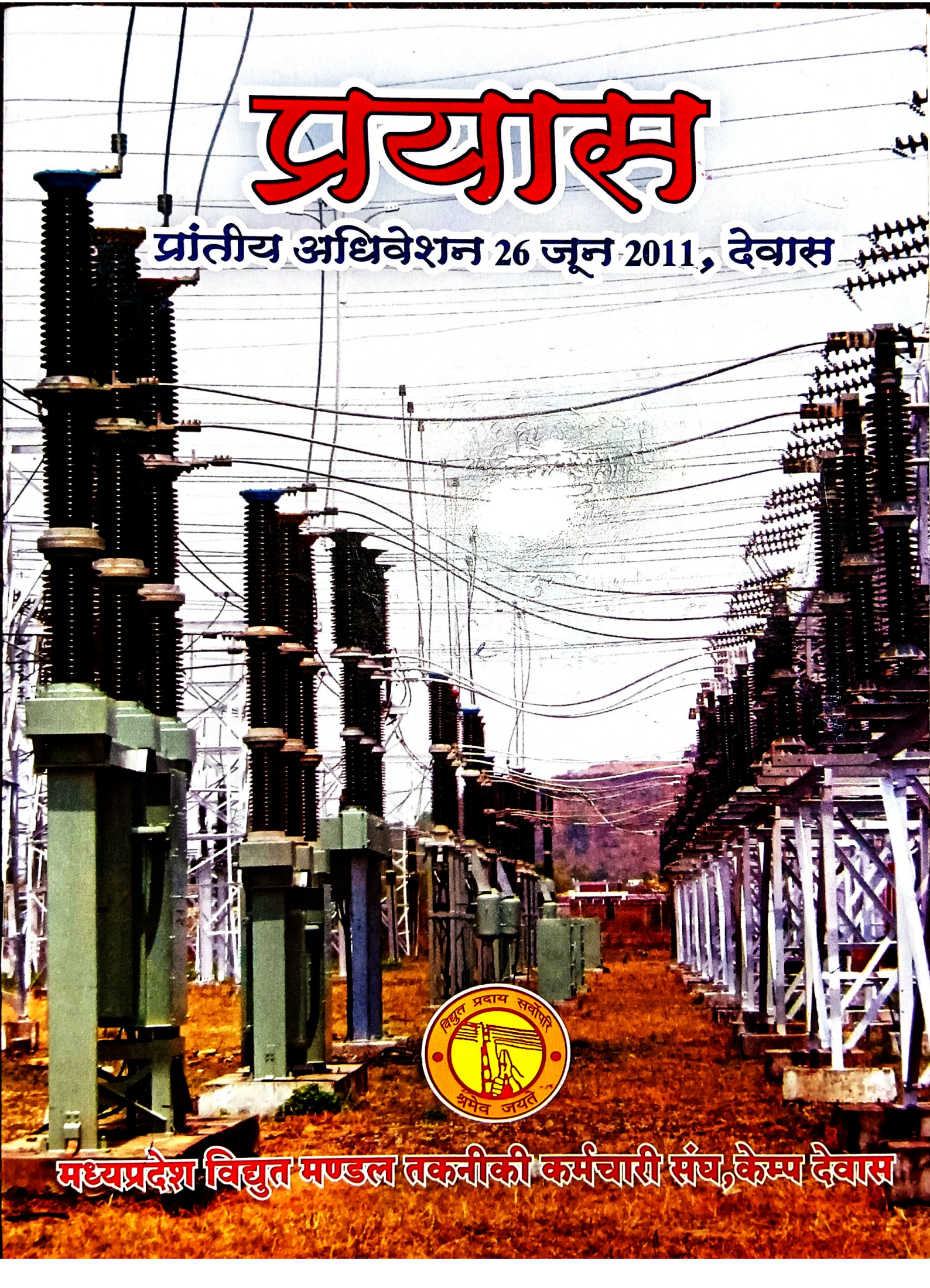

प्रयास

प्रांतीय अधिवेशन 26 जून 2011, देवास

विद्युत प्रदाय सर्वोपरि
श्रमेव जयते

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ, केम्प देवास

म.प्र.वि.मं.तकनीकी कर्मचारी संघ
प्रांतीय पदाधिकारी

शंभुनाथ सिंह
प्रांतीय अध्यक्ष

के.के. पैगवार
प्रांतीय महासचिव

कमलागिरी
प्रांतीय कार्य.अध्यक्ष

के.एम.लोखंडे
प्रांतीय कार्य.अध्यक्ष

एस.के.मौर्या
प्रांतीय कार्य.अध्यक्ष

एन.के. लोधी
प्रांतीय उपाध्यक्ष

पी.के.धल्ली
प्रांतीय उपाध्यक्ष

बी.पी.सिंह
प्रांतीय उपाध्यक्ष

नारायण टाँक
प्रांतीय उपाध्यक्ष

आर.के. सिंह
प्रांतीय सचिव

रतिपाल यादव
प्रांतीय सचिव

मसूद अहमद
प्रांतीय सचिव

एन.के.राय
प्रांतीय सचिव

क्षेत्रीय समिति

मनोज कुमार शर्मा
जोनल अध्यक्ष उज्जैन क्षेत्र

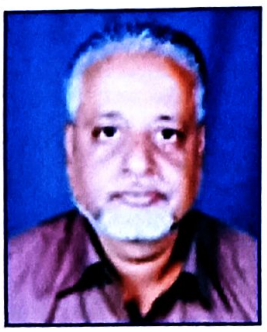

फखरूद्दीन कोटवाला
जोनल सचिव उज्जैन क्षेत्र

बाबूलाल यादव
अध्यक्ष इन्दौर

रामकेवल यादव
सचिव इन्दौर

के.एम.कुरैशी
रीजनल कोषाध्यक्ष उज्जैन क्षेत्र

इंजी. पी.एस.यादव (संरक्षक) एवं श्री एस.के.मौर्या (पूर्व महासचिव) को सादर समर्पित

सम्पादक मण्डल

शंभुनाथ सिंह
संपादन सहयोग

प्रमोद कुमार धल्ली
संपादन एवं संकलन

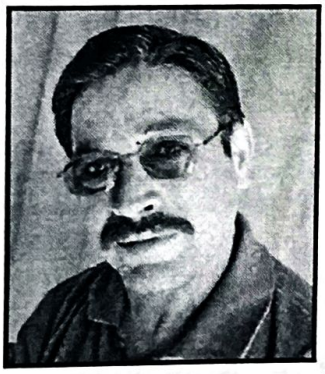

मनोज कुमार शर्मा
संपादन सहयोग एवं डिजाईनिंग

फखरूद्दीन कोटवाला
संपादन सहयोग

प्रयास

प्रांतीय अधिवेशन

26.जून.2011

देवास

म.प्र.विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ, देवास

आपकी अपनी बात

आपका अपना तकनीकी संघ माँ चामुंडा की नगरी, देवों के वास देवास में अपना प्रांतीय अधिवेशन करने जा रहा है। वर्ष 2009 में माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। उस वक्त देवास के साथियों ने इस आयोजन को देवास में करने का संकल्प लिया था। प्रभु इच्छा से आयोजन देवास में होने जा रहा हैं। इंदौर के आयोजन के समय संगठन ने आगामी संघर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए थे। संगठन के अथक प्रयास से जो सफलता प्राप्त हुई है इसकी जानकारी इस स्मारिका द्वारा देने का प्रयास किया गया हैं ।

वर्ष 2009 में प्रकाशित स्मारिका का नाम लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2011 में प्रकाशित की जाने वाली स्मारिका का नाम "***प्रयास***" रखा जा रहा हैं। हमारा प्रयास है कि सभी साथियों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके जो उन्हें कोई भी देना नहीं चाहता, कारण जो भी हो हमारा उद्देश्य साफ हैं।

सभी जानते है कि मंडल के विकास में तकनीकी कर्मचारियों का योगदान क्या है। जब सारा देश दीपावली, होली या ईद मना रहा होता हैं तो यह विद्युत व्यवस्था में सीमा प्रहरी की तरह चौकन्ने रहते हैं। देश के लिए होने वाले शहीदों को तो हम कभी कभार याद भी कर लेते हैं लेकिन प्रतिवर्ष बडी संख्या में विद्युत दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले तकनीकी कर्मचारियों के परिवार के प्रति अपनी जवाबदारियों को भूल जाते हैं। क्या उन्हें विद्युत शहीद नहीं माना जाना चाहिए ?

तकनीकी संघ ने तकनीकी कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर जो बात मंडल प्रशासन के सामने रखी और उन्होंने जो माना वे आदेश भी इस स्मारिका में हैं। इस स्मारिका को हम और भव्य रूप देना चाहते थे लेकिन समय और साधन की सीमाओं ने हमें इजाजत नहीं दी। हमारा प्रयास कितना सफल रहा यह तो आप ही बता पाऐंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें । त्रुटियों के लिए क्षमा।

जय भारत जय तकनीकी

आपका अपना

प्रमोद कुमार धल्ली

(संपादन एवं संकलन)

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
MADHYA PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD

शक्ति भवन, विद्युत नगर
जबलपुर - 482 008
SHAKTI BHAWAN, VIDYUT NAGAR,
JABALPUR - 482 008

मोहम्मद सुलेमान
अध्यक्ष

कमांक सीएच/एसओ/47
दिनांक 07/06/2011

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ अपना प्रांतीय अधिवेशन 26 जून 2011 को देवास में आयोजित करने जा रहा है। मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में तकनीकी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी कर्मचारियों ने समय–समय पर अपनी उत्कृष्ट कार्य–प्रणाली से जहॉ संस्थान का नाम रौशन किया है, वहीं उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाऐं देकर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।

मैं अधिवेशन की सफलता की कामना के साथ यह भी आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ का रचनात्मक सहयोग मण्डल को मिलता रहेगा।

(मोहम्मद सुलेमान)
अध्यक्ष

दूरभाष /Tele : 2660301 / 2660500 / 2661111
DID : 270 (For directly connecting EPABX extension numbers)
फैक्स / Fax : 0761-2661696
Email : secympseb@rediffmail.com

P.K. VAISHYA
SECRETARY
पी .के .वैश्य
सचिव

M.P. STATE ELECTRICITY BOARD
SHAKTI BHAWAN, VIDYUT NAGAR
JABALPUR - 482 008 (M.P.)
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
शक्ति भवन, विद्युत नगर
जबलपुर - 482 008 (म.प्र.)

सदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा देवास में दिनांक २६-०६-२०११ को प्रान्तीय अधिवेशन का आयोजन तथा स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। अधिवेशन की सफलता के लिये हार्दिक शुभकामनायें।

प्रदेश में विद्युत के उत्पादन, वितरण एवं पारेशण व्यवस्था सुचारू बनाये रखने में तकनीकी कर्मचारियों की महती भूमिका रहती है। इस भूमिका के निर्वहन में तकनीकी कर्मचारी संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अधिवेशन की सफलता एवं स्मारिका के प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनायें।

(पी के वैश्य)

आर.के.वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक
फोन : 91-0761-2661234, 782100 (कार्या)
91-0761-2417657, 2313570 (निवास)
फैक्स : 0761-2664141
ई मेल : cmd_mpptcl@hotmail.com

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक हर्ष हुआ कि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ 26 जून 2011 को देवास में अपने प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन करने जा रहा है। तकनीकी कर्मचारी संघ की एक गौरवशाली कार्य संस्कृति रही है, जिसके लिए यह संघ बधाई का पात्र है। संघ के इस प्रांतीय अधिवेशन के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करते हुए मैं संघ के समस्त सदस्यों से यह अपेक्षा करूँगा कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्रों में सकारात्मकता को अपनाते हुए अपने संस्थान की उत्तरोत्तर उन्नति की श्रेष्ठ भावना से प्रगति पथ पर अग्रसर होंगे।

समस्त शुभकामनाओं सहित।

(रमेश कुमार वर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर

सी.एम.डी.
म.प्र.पश्चिम क्षैत्र विद्युत
वितरण कं. लि. इन्दौर

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय हैं कि म.प्र.विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ अपनी स्थापना के 28 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहा हैं । इस अवसर पर प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास में प्रदेश सरकार व विद्युत कर्मियों के योगदान विषय पर स्मारिका प्रकाशन भी कर रहा हैं । मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ को मैं इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनायें प्रेषित करता हूँ ।

यह उद्योग सेवा के क्षैत्र का उद्योग हैं लोग अपना पैसा लगाकर गरीब –असहायों की सेवा करते हैं । हमारे उद्योग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी हर वर्ग की सेवा करते हैं हमारा सौभाग्य है इस उद्योग में हम कार्यरत हैं, किसी भी उद्योग की उन्नति में उसमें कार्यरत कर्मियों का महत्व पूर्ण योगदान रहता हैं । हमारा संस्थान एक तकनीकी संस्थान होने के कारण इसके विकास एवं प्रगति में तकनीकी कर्मचारियों की प्रत्यक्ष सहभागिता हैं ।

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ के 29वेंवर्ष में प्रवेश पर मैं शुभकामनायें व्यक्त करते हुए आशा करता हूँ कि 26.06.11 को देवास में हो रहे प्रदेश अधिवेशन में संघ के पदाधिकारियों, एवं सदस्यों को उपभोक्ताओं के हित में, शासन की नितियों के कियान्वयन में पूर्वानुसार सकिय सहयोग प्रदान करते रहेगें ।

(डी. पी. आहूजा)
आय.ए.एस

Arjun M. Sajnani
Chairman & Managing Director

M.P. POWER GENERATING CO. LTD.
Shakti Bhawan, Jabalpur - 482 008

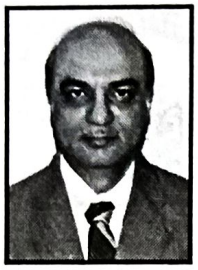

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा देवास में दिनांक 26.06.2011 को प्रान्तीय अधिवेशन का आयोजन तथा स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने में तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का आम जनता में मण्डल की छवि से सीधा नाता होता है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि (अ) विद्युत गृहों में बंद यूनिट को लगातार रात दिन काम कर कम से कम समय में चालू करने में अपना योगदान दें, (ब) विद्युत पारेषण में उच्च दाब लाइन में आये अवरोध को लाइन चालू रहते हुए सुधार कार्य करें या कम से कम समय बंद रखें, तथा (स) विद्युत वितरण में आयी खामियों को चाहे वह गर्मी में लू का समय हो, बारिश में मूसलाधार वर्षा हो रही हो या सर्दी में कड़ाके की ठण्ड चल रही हो, तत्काल अवरोध दूर करें ।

उपरोक्त कार्यों से न सिर्फ तकनीकी कर्मियों को उपभोक्ताओं के कष्ट निवारण करने से आत्म संतुष्टि मिलेगी बल्कि आम जनता भी उनके द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करेगी और विद्युत मण्डल की भी एक अच्छी छबि बन सकेगी।

अधिवेशन की सफलता एवं स्मारिका के प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनायें ।

2/6/11

(अर्जुन.एम. साजनानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड,जबलपुर.

PHONE : OFFICE : 91-761-2668150
2702500
RESI. : 2665715
2669470
GRAM : ELECBOARD
FAX : 91-761-2665681
E-mail : membergen@yahoo.com

पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
सी.ओ.एफ. ब्लॉक, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर-482 008 (म.प्र.)

विद्युत ज्योति

संदेश

प्रिय श्री पैगवार,

हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ अपना प्रांतीय अधिवेशन आयोजित करने जा रहा है ।

विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कार्यों में तकनीकी कर्मचारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है । तकनीकी कर्मचारियों ने हमेशा ही अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है । प्रदेश में उर्जा क्षेत्र एक संकमण काल से गुजर रहा है । मुझे विश्वास है कि तकनीकी कर्मचारी आने वाली समस्त चुनौतियों का सामना करने एवं विद्युत व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हेतु अपना सहयोग पूर्ववत प्रदान करते रहेंगे । मध्यप्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा देवास में आयोजित इस अधिवेशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें ।

भवदीय

16/6/11

(पंकज अग्रवाल)

प्रति,

श्रा क0क0पगवार
प्रांतीय महासचिव
म.प्र. विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ
जबलपुर ।

कार्या. दूरभाष : 0761-2661795, 2702800 फैक्स : 0761-2666070
निवास दूरभाष : 0761-2702801, 2665922
ई-मेल : cmdeast@hotmail.com
वेबसाइट : mpez-electricity-discom.nic.in

निदेशालय सतर्कता एवं सुरक्षा
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

युनिट नं. 6, शक्ति भवन, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर – 482008

दूरभाष : 2663687/2702056, फैक्स : 0761-2666050/2661696 तार : बिजलीमण्डल, ई-मेल : dvs@sanchar.net.in

राजेश चावला, भा.पु.से.
पुलिस महानिरीक्षक
निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा)

जबलपुर दिनांक 13–06–2011

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि म.प्र. विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ दिनांक २६ जून २०११ को प्रान्तीय अधिवेशन के अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करने जा रहा है।

मण्डल में तकनीकी कर्मियों की कार्य कुशलता, राष्ट्र एवं राज्य में उर्जा-सुरक्षा एवं विद्युत उर्जा की उपलब्धता को सार्थकता के स्तर तक पहुँचाने में सफलता की ओर अग्रसर है। ऐसे जनहित एवं जनसेवा के कार्य में समर्पित कर्मियों की समस्याओं के प्रति संघ की महती भूमिका रहती है और अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिये बधाई का पात्र है।

आशा है भविष्य में तकनीकी कर्मी अपने कठिन परिश्रम से विभाग को गौरान्वित करते रहेंगे।

इन्हीं शुभकामनाओं सहित,

(राजेश चावला, भा.पु.से.)

SANTOSH TIWARI
ADVISOR

M.P. STATE ELECTRICITY BOARD
Block No.15, Shakti Bhawan, Jabalpur - 482 008

Phone : (O) 91 - 0761 - 2660361, 2702022
(R) 91 - 0761 - 2662727, 2702727
Fax : (O) 91 - 0761 - 2661696
Resi. : 31 "Parishram", Nayagaon Housing Society
Rampur, Jabalpur (M.P.) - 482008

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ अपना प्रांतीय अधिवेशन 26 जून 2011 को देवास में आयोजित करने जा रहा है। प्रदेश के बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में तकनीकी कर्मचारिगों का अप्रतिम योगदान है। तकनीकी कर्मचारियों ने सदैव अपनी कर्त्तव्यपरायणता और समर्पण की भावना से कार्य कर अन्य कर्मियों के समक्ष उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है एवं उपभोक्ताओं को उत्तम सेवा देने में अप्रतिम योगदान दिया है।

मैं अधिवेशन की सफलता की कामना के साथ यह भी आशा करता हू कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ की रचनात्मक भूमिका इसी प्रकार बनी रहेगी।

(संतोष तिवारी)

प्रेषक: रामकुमार शर्मा मुख्य अभियंता (उ.क्षे.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.
उज्जैन

:::: संदेश ::::

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि म.प्र. विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हैं ।

वर्तमान समय मे विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों ही विधाओं मे तकनीकी प्रगति हुई हैं जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के कौशल का भरपूर उपयोग होता हैं । विद्युत उर्जा मनुष्य के जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक हो गई हैं साथ ही इसके उपयोग हेतु विशिष्ठ तौर-तरीकों को उपयोग मे लाया जाना अनिवार्य हैं । थोडीसी असावधानी मण्डल के एक विश्वास है कि देवास मे आयोजित प्रांतीय अधिवेशन मे विद्युत सुरक्षा हेतु तकनीकी एवं अन्य पहलुओं पर विस्तार से विचार–विमर्श किया जावेगा जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य को सम्पादित करने मे विशिष्ठ मदद मिलेगी ।

प्रांतीय अधिवेशन मे स्मारिका का भी प्रकाशन किया जा रहा हैं जिसमें संकलित आलेखों से पाठको को विद्युत के महत्व एवं सुरक्षा से संबंधित महती जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।

प्रांतीय अधिवेशन के आयोजन पर मैं उज्जैन क्षेत्र के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूं ।

(राम कुमार शर्मा)

OH - I (ii) H

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल

शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर - 482 008

दिनांक 23/5/11

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर बेइन्तहा खुशी हो रही है कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 26–06–11 को देवास में प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है । इस अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद।

किसी भी उद्योग की उत्पादकता वृद्धि एवं उत्तरोत्तर तरक्की में मधुर औद्योगिक संबंधों की महती भूमिका होती है । श्रमिक संघों के सहयोग के बगैर इस भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन करना नामुमकिन है । यह प्रसन्नता की बात है कि श्रमिक हित में तकनीकी संघ अपने कर्तव्यों की पूर्ति पूरी ईमानदारी से कर रहा है ।

अधिवेशन के आयोजन एवं स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ ।

नेक तमन्नाओं के साथ ।

एम.आई.खान
औद्योगिक संबंध अधिकारी

दूरभाष : 660301 / 660500 / 661111 फैक्स : 0761 - 661696, तार : बिजली मंडल
डी.आई.डी. : 78 (इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के विस्तार नम्बरों से सीधे सम्पर्क के लिये)
ई-मेल : secympeb@bom6.vsnl.net.in

आर.डी. अग्रवाल,
मुख्य इंजीनियर (इं.क्षे.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,इंदौर

इंदौर 18-6-2011

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि म.प्र.विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 26-06-11 को देवास में आयोजित किया जा रहा है।

इस प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहत्तर उपभोक्ता सेवा देने के संबंध में विचार-विमर्श कर संघ के सदस्य कंपनी में अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन सक्रियता से कर, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करेगें, ऐसी मेरी अपेक्षा है।

विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत आपूर्ति संहिता के संबंध में विभिन्न प्रावधानों से सदस्यों-को अवगत कराया जाना भी समीचीन होगा।

मै इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका की सफलता की कामनां करता हूँ।

(आर.डी.अग्रवाल)

प्रवीणदत्त त्रिपाठी,
वरिष्ठ कल्याण अधिकारी,
कार्या.मुख्य इंजीनियर (इं.क्षे.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,इंदौर

दिनांक 15-6-2011

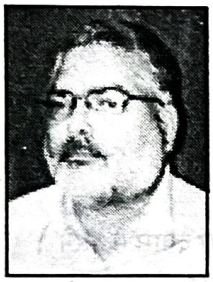

सं दे श

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि म.प्र.विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 26-06-11 को देवास में आयोजित किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि प्रांतीय अधिवेंशन में सभी सदस्य अपनी तकनीकी अनुभवों एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकारात्मक कार्य करेगें तथा शासन और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर सेवा देने में सदैव ही प्रयत्नशील रहेगें।

मैं इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका एवं आयोजन की सफलता की कामनां करता हूँ।

(प्रवीणदत्त त्रिपाठी)

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- ब्लाक क्रंमांक 2,शक्तिभवन,रामपुर,जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.देवास

संदेश

यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि म.प्र.वि.तकनीकी कर्म.संघ अपना प्रांतीय अधिवेशन माँ चामुंडा की नगरी देवास में करने जा रहा हैं तथा इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन करने जा रही हैं।

मैं कार्यक्रम की सफलता एवं प्रकाशित होने वालन पत्रिका के लिए अपनी शुभ कामना व्यक्त करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

बी.एस.एस.यादव
कार्यपालन अभियंता (परी.)
म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.देवास

अध्यक्ष की कलम से

संगठन ने 22 सूत्री मांग पत्र को लेकर आंदोलन किया एवं 3 नवम्बर 2010 को अनिश्चित कालीन हडताल का नोटिस दिया। मंडल के अनुरोध पर हडताल स्थगित की गई। दिनांक 30.10.10 को 22 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा की गई। 26.02.11 को मंडल ने प्रत्येक बिन्दु पर लिखित पत्र संगठन को प्रेषित किया।

तकनीकी कर्मियों के फ्रिंज बेनिफिट, 5 लाख का बीमा विचाराधीन है। पें शन फंड का निर्माण होना चाहिए इस हेतु संगठन संघर्ष कर रही हैं । वरिष्ठ परीक्षण सहायक से पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा सभी कम्पनियों को अन्य पदों की पदोन्नति के लिए मंडल द्वारा पत्र लिखा गया हैं । अन्य पदोन्नतियाँ शीघ्र संभावित हैं।

सेवा निवृति के अंतिम दिन सारे संवानिवृति लाभ देना मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा प्रतिमाह जीवित होने का प्रमाण पत्र समाप्त कर वर्ष में एक बार माह अप्रेल में लेने हेतु आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं । कम्पनियों में तकनीकी पदों पर भर्ती प्रारंभ की जा चुकी हैं। पावर हाउस कर्मियों एवं क्लीनरों के रोके गए द्वितीय उच्च वेतनमान प्रकरण स्वीकृत किए जा रहे हैं ।

वर्तमान में विद्युत मंडल में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या तकनीकी संघ के पास हैं। इसकी मैदानी ताकत से सभी परिचित हैं। संघ ने अनेकों बार अकेले ही कर्मचारियों के हित में आंदोलन किया है तथा हडताल का आव्हान किया है। कर्मचारियों के लिए संगठन ने संयुक्त संघर्ष समिति में प्रमुख भूमिका निभाई हैं। वैश्वीकरण के दुःपरिणाम को रोकने के लिए आवश्यक हैं कि हम संगठित रहें। अधिवेशन आयोजित करने का उद्देश्य भी यही होता हैं। शक्ति का आत्मावलोकन के साथ प्रशासन तक अपनी समस्याओं को पहुचाना ही अधिवेशन का वास्तविक उद्देश्य है।

देवास के साथियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंन क्षेत्र के तकनीकी कर्मचारियों को संगठित करने में सफलता पायी है।

आपका अपना

शंभुनाथ सिंह

(प्रांतीय अध्यक्ष)

म.प्र. वि. मं. तकनीकी कर्मचारी संघ
M.P.E.B. Takneeki Karmchari Sangh
(सम्पूर्ण प्रदेश के विद्युत तकनीकी कर्मचारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संघ)
प्रधान कार्यालय : एफ-11, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर - 482008 (म.प्र.)

म.प्र.वि.मं./ / दिनांक .....

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि म.प्र.वि.मं. तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन 26 जून 2011 को देवास में होने जा रहा हैं। इस अधिवेशन का महत्व इसलिए भी बढ जाता है कि मण्डल को समाप्त कर कर्मचारियों को उत्तोतर कंपनियों में बांटा जा रहा है। तकनीकी कर्मचारी मण्डल की रीढ होते हुए भी हमेशा शोषित, उपेक्षित हो रहा है। परन्तु तकनीकी कर्मचारी संघ के गठन के बाद पूरे प्रदेश के तकनीकी कर्मचारियों को एक झंडे के नीचे लाकर संघर्ष करते हुए अपनी मांगों का निराकरण किया जा रहा है। संघ ने 50 से भी अधिक मांगों मण्डल से पूरा कराया है तथा आगे अनुकंपा नियुक्ति, वर्कमेन कम्पन्सेशन में बढोत्तरी, जूनियर इंजीनियर बनाना, वितरण के तकनीकी कर्तचारियों को ओवर टाइम, फिन्ज बेनीफिट की घोषणा, तकनीकी वेतनमान एवं भर्ती के पूर्व तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाना आदि मांगों के लिये संघर्ष चल रहा है। तकनीकी कर्मचारी बरसात, ठंड एवं गर्मी की परवाह नहीं करते हुए जान जोखिम में डालकर राजस्व वसूली के साथ–साथ निरंतर विधुत प्रवाह जारी रखने में लगा रहता है, ऐसे जांबांज साथियों के हौसले को इंकलाबी सलाम।

सुर्ख लहू से भरी ये राहें, तूफानों को झेला है,
और हम क्या–क्या बतलाए, हर दिल नहीं अकेला है।
आओ हम सब मिलकर एक ऐसा आगाज करें,
संघर्ष की इस बली वेदी पर एक नया इतिहास लिखे।।

आपका शुभचिंतक

के.के.पैगवार
प्रांतीय महासचिव

तकनीकी कर्मचारी संघ की उपलब्धियाँ

क्रं.	उपलब्धियों /मांगो का विवरण	पूर्व स्थिति का विवरण	तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संघर्ष के बाद दिलाई गई उपलब्धियों का विवरण
01	तकनीकी कर्मियों को पेंशन	अप्रेल 1981 के पूर्व नहीं थी	आदेश क्रं. 01-05/I/–9(ए) 100 दिनांक 21.04.87 के द्वारा संघर्ष के बाद सभी तकनीकी कर्मियों को पेंशन सुविधा दिलाई गई।
02	अवकाश समानता (अर्जित अवकाश)	तकनीकी कर्मियों को वर्ष में 15 दिन तथा गैर तकनीकी कर्मियों को 30 दिन की अर्जित अवकाश की पात्रता थी।	संघ द्वारा अप्रैल 87 से संघर्ष के ब ाद तकनीकी कर्मियों को भी 30 अर्जित अवकाश की पात्रता दिलवाई गई जिसका आदेश क्रं.01-05/I/248 दिनांक 19.10.87
03	आकस्मिक अवकाश	तकनीकी कर्मियों को वर्ष में 10 दिन तथा गैर तकनीकी कर्मियों को 13 दिन की आकस्मिक अवकाश की पात्रता थी	संघ द्वारा नवम्बर 89 में संघर्ष के ब ाद तकनीकी कर्मियों को भी एक वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता दिलवाई गई
04	अटे. ग्रेड 3 पद की समाप्ति	चतुर्थ श्रेणी में अटे. ग्रेड 3 ,2 व 1 की तीन श्रेणिया थी।	आदेश क्रं.01-05/I/62 दिनांक 03.05.89 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में दो श्रेणियों अटे. ग्रेड 1 व 2 कराई गई
05	आई.टी.आई.पास कर्मियों को	टी एण्ड डी में सहायक श्रेणी 2 स्टोर में परिचारक श्रेणी 1 उत्पादन में अटें. ग्रेड 2 पर लिया गया	हा.से. व 2 वर्षीय आई.टी.आई.पास कर्मियों का असिस्टेंट 2 लाईन / प्लांट /सिविल के पद पर नियुक्तिकी पात्रता दिलाई आदेश क्रं.01-05/I /WC /135 दिनांक 03.11.89।
06.	चतुर्थ / तृतीय श्रेणी कर्मियों को कनिष्ठ यंत्री के पद पर विभागीय नियुक्ति की पात्रता	अक्टूबर 1989 तक कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं	आदेश क्रं.01-05/I /146 दिनांक 09.11.89 के अनुसार विभागीय डिप्लोमाधारी चतुर्थ / तृतीय श्रेणी कर्मियों को सीधे कनिष्ठ यंत्री बनाने की पात्रता।
07	रात्रिकालीन भत्ता	01.04.1984 के पूर्व नहीं उसके बाद संघ द्वारा मांग उठाने पर मात्र 2/– प्रति रात्रि	आदेश क्रं.01-05/I/WC/181 दि.06.12.89 के द्वारा रु.6.25/- प्रति रात्रि आदेश क्रं .01-05/I/ /5376 दि.26.05.03 के द्वारा रु.10/- प्रति रात्रि किया गया।
08	भृत्य/गार्डनर/वार्ड ब्वाय/ खानसामा आदि पदों पर पदस्थ कर्मियों को लाईन अटे. ग्रेड 2 बनाने का विकल्प	पूर्व में नहीं था जिससे इन पदों पर पदोन्नति के अवसर नहीं थे।	आदेश क्रं. 01-05-IV/18539 दि.21.12.89 के द्वारा भृत्य/गार्डनर/वार्ड ब्वाय/क्लीनर आदि समकक्ष पदों पर पदस्थ कर्मियों को लाईन/प्लांट अटें.ग्रेड 2 बनाने की पात्रता से इन स्टेटिक केडरों के कर्मियों की पदोन्नति का रास्ता खुला।
09	7 वर्षो की सेवा के ब ाद कनिष्ठ यंत्री के पद पर विभागीय नियुक्ति की पात्रता	पूर्व में नहीं था।	हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा पास लाईन प्लांट/परी.श्रेणी 1/ 2 को 7 वर्ष की सेवा के बाद उन्हें कनिष्ठ यंत्री पद की भर्ती परीक्षा में शामिल होने की पात्रता दी गई आदेश क्रं. 01-05-IV/990 दि.21.02.90 ,एवं 01-07-IV/3779 दि.18.05.91
10	विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का तृतीय श्रेणी पद पर पदोन्नति	कोई स्पष्ट नीति नहीं।	विभिन्न शैक्षणिक योग्यता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को सहायक श्रेणी 2 के पद पर पदोन्नति हेतु नीति निर्धारण आदेश क्रमांक . 01 - 07 / IV / 8292 दि.22.11.90।
11	अटे. ग्रेड 3 पद की समाप्ति	मंडल आदेश दि. 03.05.89 के बावजूद समाप्त नहीं हो पाने पर संघ द्वारा आपत्ति करने पर	आदेश क्रमांक 01-05-IV/1446 दि.25.02.91सभी लाईन/प्लांट अटें. ग्रेड 3 को 4 वर्ष की सेवा के बाद अटें. ग्रेड 2 पर अपग्रेड किया गया
12	अटे. ग्रेड 1 एवं असिस्टेंट ग्रेड	उच्च वेतनमान हेतु ओव्हर हेड अंडर ग्राउंड सर्टीफिकेट प्राप्त कर आवश्यक	लाईन अटेडेंट ग्रेड 1 एवं लाईन असिस्टेंट ग्रेड 2 को उच्च वेतनमान में ओव्हर हेड अंडर ग्राउंड सर्टीफिकेट की छूट के आदेश क्रमांक 01-07/IV/27/6406 दि.28.06.94

तकनीकी कर्मचारी संघ की उपलब्धियाँ

क्रं.	उपलब्धियों /मांगो का विवरण	पूर्व स्थिति का विवरण	तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संघर्ष के बाद दिलाई गई उपलब्धियों का विवरण
13	कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंगकर्मी को पुनर्नियुक्ति	अपंग कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाता था आदेश क्रं. एल.डब्ल्यू.ओ.205दि. 25.07.71	आदेश क्रंमांक 01-09/2175 दिनांक 29.06.94 के द्वारा स्थाई या आंशिक अपंग कर्मियों को मंडल में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान कराया
14	इलाज के दौरान विशेष भत्ता	पूर्व में नहीं था।	आदेश क्रंमां क 01-07/I/7/ दि.28.02.95 के द्वारा रु.75/- से रु. 450/-प्रतिदिन अधिकतम रु. 20000/- तक चिकित्सा राशि के अलावा अस्पताल में भर्ती होने पर देय
15	चिकित्सा/अंतिम संस्कार व्यय	मात्र रु. 500/- था।	आदेश क्रंमां क 01-07/IV/9 दि. 28.02.95 के द्वारा घतक दुर्घटनाओं में रु. 1500/- एवं अघातक दुर्घटनाओं में रु. 1000/- दिए जाने का प्रावधान किया गया।
16	संयत्र परिचारक श्रेणी 1 से संयंत्र सहायक श्रेणी 2	कोई प्रावधान नहीं था।	चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पदोन्नति देने के उ देश्य से 207 संयंत्र परिचारक के पदों को संयंत्र सहा. श्रेणी 2 तृतीय श्रेणी पद पर पदस्थापित किया गया आदेश क्रमांक 01-07/I/6438 दि.28.06.95
17	अटे. ग्रेड 3 व अटे. ग्रेड 2 के सेवाकाल को मिलाकर 9 वर्ष	एक ही पद पर 9 वर्ष का बंधन था।	अटे. ग्रेड 3 से अटे.ग्रेड 2 पर पदस्थापित तकनीकी कर्मियों को दोनों पदों को मिलाकर 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम विकल्प उच्च वेतनमान की पात्रता आदेश क्रमांक 01-07/IV/38 दि.04.11.95
18	जोखिम भत्ता	नहीं मिलता था।	संघ के अथक प्रयासों से रु. 250/- प्रतिमाह शुरू होना था लेकिन मान्यता की टांग के कारण रु. 50/- प्रतिमाह शुरू हो पाया। आदेश क्रंमांक 01-07 /डब्ल्यु.ए.सी./5380 दिनांक . 11.06.96
19	चिकित्सा अवकाश/हाफ लीव बकाया रखने की सुविधा।	चिकित्सा अवकाश तकनीकी कर्मियों को 15 एवं गैर तकनीकी कर्मियों को 30 दिन था तथा हाफ पे लीव तकनीकी कर्मियों को 60 दिन एवं गैर तकनीकी कर्मियों को असीमित।	आदेश क्रंमां क 01-07 /डब्ल्यु.ए.सी./52 दि. 19.07.96 के द्वारा गैर तकनीकी कर्मियों के बराबर रखने के लिए हाफ पे लीव रखने की 60 दिन की सीमा हटवाई गई जिससे तकनीकी कर्मी असीमित चिकित्सा अवकाश/हाफ पे लीव अपने खाते में शेष रख सकता है।
20	दुर्घटना में मृत कर्मियों को आर्थिक सहायता	कंपनसेशन राशि के अलावा कुछ नहीं ।	मृत कर्मी के आश्रितों को उक्त सहायता राशि संघ की मांग पर आदेश क्रमांक 01-07/डब्ल्यू.ए.सी./60 दिनांक 06.08.96 के द्वारा रु. 10000/- स्वीकृत कराई गई।
21	अटे. ग्रेड 3 की अटे. ग्रेड 2 पद पर	जून 1996 तक अटे. ग्रेड 3 के कुछ पद शेष थे	आदेश क्रमांक 01-07/IV/1105 दिनांक 22.07.96 सभी प्लांट.लाईन अटे.ग्रेड 3 के पदों का अपग्रेड कर उन पर पदस्थ कर्मियो को अटे.ग्रेड-2 पर पदस्थापित किया गया है।
22	संघ पदाधिकारियों को विशेष अवकाश	कोई प्रावधान नहीं था	आदेश क्रं 01-09/1105 दिनांक 02-03-97 के द्वारा 3 पदाधिकारीयों को वर्ष में 12 विशेष अवकाश की पात्रता दिलाई गई।
23	वर्क चार्ज अवधि को उच्च वेतनमान में गणना	पूर्व में कोई प्रावधान नहीं था	आदेश क्रं.01-13/53 दिनांक 10.09.97 के द्वारा वर्कचार्ज अवधि को उच्च वेतन मान हेतु गणना। कर उच्च वेतनमान की पात्रता दिलाई।

तकनीकी कर्मचारी संघ की उपलब्धियाँ

क्रं.	उपलब्धियों /मांगो का विवरण	पूर्व स्थिति का विवरण	तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संघर्ष के बाद दिलाई गई उपलब्धियों का विवरण
24	लाईन इंस्पेक्टर/प्लांट सहायक ग्रेड को जोखिम भत्ता	पूर्व आदेश के ब ाद पात्रता नहीं	आदेश क्रं 01-07/डब्लू.ए.सी./99 दिनांक 22.10.97 के द्वारा पात्रता दिलाई।
25	कर्मियों की वर्दी के रंग में परिवर्तन	सभी को खाकी रंग की वर्दी	आदेश क्र.01-01/IV/3556/105.दि 15.05.96 तकनिकी कर्मियो को ग्रे कलर की वर्दी का प्रावधान।
26	लाईन असिस्टेंट ग्रेड 1 को लाईन इंस्पेक्टर का अपग्रडेशन	कोई प्रावधान नहीं था	पदोन्नती देने के उद्देश्य से वितरण केन्द्रो में 257 लाईन असि.ग्रेड-1 (लाईनमैन) के पदों को लाईन असि.ग्रेड-(लाईन इन्सपेक्टर) के पद पर अपग्रेड कर पदस्थापना आदेश क्र.01-05/VII/2326 दिनांक 22.06.99
27	लाईन असिस्टेंट ग्रेड 2 को लाईन इंस्पेक्टर का अपग्रडेशन	कोई प्रावधान नहीं था	पदोन्नती देने के उद्देश्य से लाईन अटे.ग्रेड-2 के 257 के पदो को लाईन असि.ग्रेड-1 के पदों पर अपग्रेड कर पदस्थापना आदेश क्र.01-05/VII/5401/1985 दिनांक 22.06.99 के द्वारा अपग्रेड किया गया।
28	दुर्घटना में अपंग/मृत कर्मियों के आश्रितों को पेंशन	आदेश दि. 25.02.71 के अनुसार मात्र कंपनसेशन देकर सेंवा से बर्खास्त	सेवा निवृत्ति की पात्रता दिलाकर पेन्शन की पात्रता प्रदान कराई गई प्रकरण का निराकरण न होने तक इनवेलेड पेंशन का प्रावधान आदेश क्र0 01-07/VI/3 दिनांक 12.01.2000
29	चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की लाईन/प्लाट/परीक्षण सहायक पद पर विभागीय नियुक्ति की पात्रता	कोई स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं	ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मी एवं लाईन/प्लांट सिविल कर्मी जो आई.टी.आई.पास कर चुके हों उन्हे असिस्टेंट ग्रेड-2 के खाली पदों पर सीधी नियुक्ति की पात्रता आदेश क्र.01-07/19 जबलपुर दिनांक 15.03.2000
30	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता राशि	केवल चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा सामान्य कर्मचारी की तरह थी।	दुर्घटनाग्रस्त कर्मी को तुरंत सहायता राशि का रु 10000/- का प्रावधान आदेश क्र. 01-01/IV/488 दिनांक 29.05.03
31	तकनीकी कर्मियों का लंबित भुगतान	कर्मियो के एक्स्ट्रा वेजेस ओवर टाईम नाईट अलाउंस भुगतान को 4.5 वर्षो से रोका गया था।	मंडल के प.क्र. 0101/1/811 दिनांक 10.11.04 के अनुसार पारेषण एवं वितरण में मई 02 से दिसंबर 02 तक के बिलों का भुगतान दीपावली पूर्व एवं चालू माह एवं लंबित 2 माहो के बिलो का भुगतान प्रतिमाह तथा उत्पादन में चालू माह के बिलों का भुगतान प्रतिमाह के साथ एक माह की बकाया राशि भुगतान किये जाने का निर्णय जिसमें ऐक्सट्रा वेजेस ओ.टी.नाइट अलाउस भुगतान नियमित हो सके।
32	शारीरिक /मानसिक निःशक्त	स्थाई अपंग/निःशक्त कर्मियों को सेवानिवृत कर दिया गया।	मंडल के आ देश क्र.01-09/242 /220 दि. 05.10.05 के द्वारा अपंग / निःशक्त कर्मियों को सेवा में असमर्थ घोषित नही किए जाने का प्रावधान किया गया अब वे सेवा में बने रहेंगे इस हेतु गाइड लाईन मंडल के प रिपत्र क्र. 01-09/242 दि. 01.02.06 में जारी की गई है।
33	मृत कर्मी को आर्थिक सहायता राशि में बढोतरी।	आदेश दिनांक 06.08.96 के अनुसार रु.10000/-	संघ की मांग पर दुर्घटना में मृत कर्मी के आ श्रित को तुरंत सहायता राशि रु. 10000/- से बढाकर आदेश क्र. 01-07/डब्ल्यु.ए.सी./2072 दि. 07.04.06 के द्वारा रु. 25000/- की गई।
34	चिकित्सा/अंतिम संस्कार व्यय में वृद्धि	आदेश दि.28.08.95 के अनुसार रु. 1500/- एवं रु. 1000/- थी।	आदेश क्र.01-07/डब्ल्यु.ए.सी./2072 दि. 07.04.06 के द्वारा घातक व अघातक दोनों केसों में रु.2500/- किया गया।

तकनीकी कर्मचारी संघ की उपलब्धियाँ

क्र.	उपलब्धियों /मांगो का विवरण	पूर्व स्थिति का विवरण	तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संघर्ष के बाद दिलाई गई उपलब्धियों का विवरण
35	रात्रिकालीन भत्ते में बढोतरी	वर्तमान वेज रिवीजन में रु. 10/- से बढाकर रु.15/- किया गया था।	जिसे संघ ने विरोध कर रु. 10/- से बढाकर रु.20/- प्रतिरात्रि का आदेश क्र.01-07/02/डब्ल्यु.ए.सी./2809 दि. 11.05.06 कराया।
36	तकनीकी कर्मियों की रूकी पदोन्नतियों के संबंध में मंडल के निर्देशों पर कर्मियों की पदोन्नति	गैर तकनीकी एवं अधिकारियों को छोडकर पूर्व में इस और कोई ध्यान नहीं था।	संघ को दिए गए लिखित आश्वासन के अनुसार मंडल ने अपने आदेश क्र.01-07/3265 दि.03.06.06 के द्वारा सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया जिसके बाद मंडल स्तर पर लगभग 600 प्लांट/लाईन/सुपरवायजर श्रेणी 3,टेस्टिंग सुपरवायजर ग्रेड 2 के पदों पर तथा मैदानी स्तर पर सैकडों तकनीकी कर्मियों की एतिहासिक पदोन्नतियाँ 20 वर्षों बाद शुरू हुई।
37	वेतन एवं सेवा शर्तो की विसंगतियों को लेकर कमेटी का गठन	वर्तमान वेज रिवीजन में मान्यता प्राप्त संघ द्वारा तक. कर्मियों के पदों एवं वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने में समझौता न करने पर	संघ के संघर्ष के एलान के बाद तकनीकी कर्मियों के पदों ,श्रेणियों,वेतनमान एवं अवकाश,पदोन्नति आदि को दूर करने हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन आदेश क्र. 01-07/ डब्ल्यू.ए.सी./334 दिनांक 07.06.06 किया।
38	कार्य के दारान मृत कर्मी के आश्रितों को सहायता वेतन।	अनुकंपा नियुक्ति के अलावा कोई प्रावधान नहीं वह भी वर्षो से बंद हैं	संघ की मांग पर ऐसे कर्मियों के आश्रितों को मृत कर्मी की सेवा निवृति तिथि तक पेंशन के अलावा वेतन एवं समस्त लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय कराया गया। आदेश क्र.01-07/1/सी.एफ.ए./4822 दि. 05.08.06
39	दुर्घटना में तुरंत चिकित्सा सहायता वृद्धि	29.05.03 को कराए गए आदेशानुसार रु.10000/-	हाल ही में कंपनी स्तर पर आदेश क्रए.एस./पी.के./मेडिकल/ 951 दि.05.02.07 के द्वारा चिकित्सा सहायता रु. 10000/- से बढाकर रु.50000/- किया गया।
40	सोसायटी में कार्यरत तक. कर्मियों को दुर्घटना सहायता।	नहीं दी जाती थी।	कंपनी स्तर पर मंडल कर्मियों की तरह ग्रामीण विद्युत सोसायटी में कार्यरत तक. कर्मियों को भी चिकित्सा सहायता आदेश क्रए.एस./पी.के./मेडिकल/951 दि.05.02.07 के द्वारा दी जावेगी।
41	तकनीकी सुपरवायजरों को जोखिम भत्ते की पात्रता।	मार्च 07 तक नहीं थी।	आदेश क्र.01-07/डब्ल्यू.ए.सी./1879 दि. 03.04.07 के द्वारा पात्रता दिलाई अब जोखिम भत्ता सभी तकनीकी कर्मियों को रु.150/- प्रतिमाह मिलेगा
42	तकनीकी कर्मियों के पदों का पुनःवर्गीकरण का एतिहासिक आदेश	पूर्व में तकनीकी कर्मचारियों के लिए 9 पद थे जबकि गैर तकनीकी संवर्ग में 6 पद थे	आदेश क्र.01-05/सात/917 दि. 13.08.09 के द्वारा तकनीकी पदों की संख्या 6 की गई। ग्रेड पे में 5% की वृद्धि की गई पूर्व में ग्रेड पे 1900 से 4200 तक थी जो बढकर 2000 से 4400 तक हो गई। पे में 5 प्रतिशत की वृद्धि गई। पूर्व में ग्रेड पे 1900 से 4200 तक थी जो कि बढकर 2000 से 4400 हो गई जिसका अन्य सभी संगठनो ने विरोध किया था।
43	तकनीकी कर्मियों के पदनाम में परिवर्तन	पूर्व में हेल्पर जैसा असम्माननीय पदनाम हटवाया गया।	आदेश क्र. 01-07/चार/48 जबलपुर दि. 08.01.10 के अनुसार सभी तकनीकी पदों को पुनःपदनामांकित किया गया। उक्त आदेशानुसार पदोन्नति हेतु अनुभव की अवधि 8 वीं उत्तीर्ण के लिए 5 वर्ष एवं 8 वीं से कम के लिए 7 वर्ष की गई।

तकनीकी कर्मचारी संघ की उपलब्धियाँ

क्रं.	उपलब्धियों /मांगो का विवरण	पूर्व स्थिति का विवरण	तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संघर्ष के बाद दिलाई गई उपलब्धियों का विवरण
44	पेंशनरों से जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रतिमाह लेने बाबत	पूर्व में पेंशनरों से जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रतिमाह लिया जाता था।इस आदेश का भिन्न लेखाधिकारियों द्वारा भिन्न प्रकार से पालन किया जा रहा था।	संगठन के प्रयास से मंडल ने अपने आदेश क्र.01-07/5564 जबलपुर दि. 01.11.10 अतिरिक्त सचिव कार्मिक एक एवं निदेशक (वित्त एवं लेखा) 04 जबलपुर दि. 23.02.11 निदेशक म.प्र.रा.वि.मंडल द्वारा सम्पूर्ण म.प्र. में यह प्रमाण पत्र वर्ष में एक बार लेने का आदेश पारित किया हैं।

विकास के हर क्षेत्र में नारी का योगदान सराहनीय

यह बात सर्वविदित है कि विकास का कोई भी क्षेत्र हो उसमें नारी का योगदान निःसंदेह सराहनीय हैं। इतिहास साक्षी है। स्वतंत्र आंदोलन से लेकर नव राष्ट्र के निर्माण में नारी के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता हैं। नारी सृष्टि का आधार है। भारतीय संस्कृति में नारी को विभिन्न रुपों में पूजा जाता है। जैसे दुर्गा,लक्ष्मी,सरस्वती,सीता,राधा इत्यादि इसीलिए कहा गया हैं कि "जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं।" नारी का चित्रण गास्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह किया हैं,

"काह न पावक जारि सके,का न समुद्र समाई।
का न अबला कर सके,केहि जग काल न खाई।।"

उपरोक्त पंक्ति से नारी की महत्ता स्वतः उजागर होती हैं। आज के दौर में महिलायें विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों का हाथ बंटा रही हैं हम देख रहे है, राजनीतिक क्षेत्र में वह देश का नेतृत्व कर रही है तो विज्ञान के क्षेत्र में वह अंतरिक्ष में उडान भर रही है तो आध्यात्म के माध्यम से समाज में चेतना प्रदान कर रही है। अब भारतीय नारी परदे तक सीमित नहीं है।

सरकारी अथवा गैर सरकारी उपकर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारियों में महिला पुरूष समान रुप से कार्य करते हैं। पर कहीं कहीं पुरूषों व महिलाओं में असाधारण प्रतिभा देखने को मिलती हैं और यही प्रतिभा उनको सभी कर्मचारियों के मध्य श्रेष्ठता प्रदान करती है। जो उनकी पहचान बन जाती हैं।

ऐसा ही एक नाम है, श्रीमती शांती बाई का जो म.प्र.वि.वि.कंपनी पूर्व क्षेत्र में कटनी में कार्यरत हैं। श्रीमती शांती बाई पति श्री एस.लकरा ने अपनी नौकरी दैनिक वेतन भोगी की हैसियत से सन् 1983 से कोरबा से आरंभ की, जो बाद में 1989 में नियमित कर उनकी नियुक्ति निर्माण संभाग के तहत दुर्ग में की गई। श्रीमती शांती बाई तकनीकी कर्मचारी है जो कि लाईन से लेकर मेंटेनेन्स तक सभी कार्य करती है।

श्रीमती शांती बाई 33 के.व्ही. स्विच का काम तो करती ही है साथ ही लाईन के सभी कार्य जैसे डी.ओ.फ्युज लगाना,जम्फर जोडना व सबस्टेशन मेंटेनेन्स का भी कार्य करती है।

बिजली चालू रहने पर लाईन का कार्य (एल.टी.) में किया जाता है,जो कि जोखिम भरा होता है, जरा सी भी असावधानी जान लेवा साबित हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी बडी निर्भिकता से लाईन का कार्य श्रीमती शांती बाई करती है। वह एल.टी. लाईन के साथ ही साथ 33 के.व्ही.लाईन का कार्य भी उतनी ही निर्भिकता से करती है। वह पूर्णतः तकनीकी कर्मचारी है,हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है, जहाँ तक मुझे याद हैं कि सम्पूर्ण म.प्र. में संभवतः वह पहली महिला लाईन कर्मचारी है। हम उनका अभिनन्दन करते हैं,उन्होंने लाईन का कार्य कर अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं।

साभार : स्मारिका रजत जंयती वर्ष 2007

ऊर्जा बचत के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारण का होना आवश्यक

ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में भारतवर्ष आज भी आत्म निर्भर नहीं है, लेकिन देश के चौतरफा विकास के लिए हमें बहुत जल्दी ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। आज हमारे देश में ऊर्जा उत्पादन के कई साधन है, हिलाजा थर्मल पावर, पन बिजली, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं आणविक ऊर्जा इत्यादि। आज भारत में जो भी ऊर्जा उत्पादन हो रहा है उसमें ज्यादातर हिस्सा थर्मल और हाईड्रो पावर का है। ऊर्जा उत्पादन के साधनों में हमें आणविक अर्थात न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर तथा विंड पावर पर अधिक जोर देना होगा, क्योंकि थर्मल पावर साफ-सुथरी ऊर्जा के रूप में उचित नहीं मानी जा सकती।

किसी मायने में आणविक ऊर्जा भारत के विकास में विशेष योगदान प्रदान कर सकती है। आणविक ऊर्जा यूरेनियम से उत्पादित होती है। यूरेनियम विशेष रूप से बिहार राज्य में पाया जाता है, लेकिन ऐसी ऊर्जा निर्माण के लिए परिष्कृत यूरेनियम निर्माण की विधि भारत के पास उपलब्ध नहीं है और जिन देशों के पास यूरेनियम की अधिकता है वे देश भारत को यूरेनियम प्रदान करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। भारत के औद्योगिक एवं कृषि विकास के लिए सस्ती सरल एवं समुचित ऊर्जा की आवश्यकता है और ऐसी ऊर्जा मात्र आणविक ऊर्जा ही है, लेकिन इस प्रकार की ऊर्जा का अनुपयुक्त रख-रखाव एवं सप्लाई में ढीलढाल विनाश को खुला निमंत्रण देता है। इसलिए इस प्रकार की आणविक ऊर्जा के लिए भारत द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सख्त कायदे कानून व रख-रखाव का विशेष ध्यान रखना होगा। इतना कुछ होने के बावजूद आज भी भारत के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वह ऊर्जा बचत को लेकर एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करें। इस नीति में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम व कायदे कानून सख्ती से लागू किए जाएं जैसे रोजाना रात्रि बारह बजे के बाद पूरे देश के बड़े शहरों में विज्ञापन संसाधनों पर चमक रहे बड़े हैलोजन लैम्प बंद कर दिए जाएं तथा अन्य बड़े विद्युत विज्ञापन साधन जैसे नियोन साइन बोर्ड इत्यादि भी बंद करवा दिए जाए, इससे ऊर्जा की भारी बचत होगी इसके साथ साथ शुक्लपक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक पूरे राष्ट्र की स्ट्रीट लाईट बंद कर दी जाए, क्योंकि इन ७-८ दिनों में चांद की चांदनी पूरी शबाब पर होती है तथा धरती चांदनी की सफेदी में नहाई सी रहती है। इन दिनों में स्ट्रीट लाइट का जगमगाना औचित्यहीन है। इसी तरह गांवों में रात की बजाए सोलर ऊर्जा के तहत दिन में बिजली प्रदान की जाए, ताकि किसानों को सौर ऊर्जा के मार्फत बिजली उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके लिए भारत सरकार को अतिशीघ्र ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि भारत वर्ष आने वाले २०-२५ वर्षों में ऊर्जा उत्पादन में पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर हो सके और उसको अन्य देशों के आगे ऊर्जा हेतु हाथ न पसारने पड़े।

मनोज कुमार शर्मा
जोनल अध्यक्ष, देवास

शुभकामनाओं सहित.....

ताहेरी हार्डवेयर एण्ड पेन्टस्

युनियन बैंक के सामने, स्टेशन रोड, देवास

अधिकृत विक्रेता : एशियन पेंटस् एवं मटेरियल

सभी प्रकार का हार्डवेयर मटेरियल, रस्सी, तार एवं अन्य सामग्री उचित मूल्य पर मिलने का एकमात्र स्थान

जरूरी सुरक्षा उपकरणों में बदलाव

हमारा उद्योग बिजली से जुड़ा है। हर वर्ष लगभग 500 कर्मचारी दुर्घटना के शिकार होते हैं। आज भी हम पुराने तौर तरीकों से कार्य कर रहे हैं। उपकेन्द्रों में झूले पर बैठकर जम्फर करते हैं तथा खंभों पर जहाँ एक से अधिक सप्लाय रहती हैं पुरानी सीढी पर एक हाथ में औजार तो दूसरे हाथ से सहारा। परिणाम कार्य की गुणवत्ता कम तथा हमेशा दुर्घटना की आशंका। जबकि यहीं कार्य वह विभाग जिनका दूर दूर तक विद्युत लाइन सुधार से वास्ता नहीं हैं हायड्रोलिक लेडर का प्रयोग करते हैं। यदि लेडर जीप या हायड्रोलिक लेडर की व्यवस्था हो तो, जो काम हम असुरक्षित, कम गुणवत्ता से कर पाते हैं वही कार्य हम उच्च गुणवत्ता के साथ कम समय में कर पाऐंगे।

पूर्ण होशो–हवास के साथ सुरक्षित ढंग से कार्य करें। याद रखें कि सतर्कता ही आपकी रक्षा कर सकती हैं। यह भी याद रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है।

फखरूद्दीन कोटवाला
जोनल सचिव, देवास

With best complements

Apt Controls
Industrial Instruments & Electronics

United Technical Services
Industrial Instruments & Electronics

14,Satyam, Ram Nagar, A.B.Road Dewas - 455001 (M.P.)
Phone:-07272-252798,252213 Fax :- 07272-253198 Mobile :94250-47798
E-mail : aptcon@sancharnet.In,aptconbb@dataone.In,aptcon@bsnl.In

सूचना का अधिकार
अत्यावश्यक / तत्काल

म.प्र. पॉवर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में)

पंजीकृत डाक द्वारा

कं. मुविअ./सूकाअ./81/ 84 दिनांक 15 JAN 2011

प्रति,
श्री प्रमोद कुमार धल्ली
द्वारा श्री एम.के.शर्मा
'प्रतिकृति', 327, गंगा नगर,
देवास (म.प्र.)

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बावत ।
संदर्भः– आपका आवेदन दिनांक 21.12.10 ।

महोदय,

आपके आवेदन दिनांक 21.12.2010 के बिन्दू क्रं. 1, 2 और 3 द्वारा चाही गयी जानकारी प्रदान करने हेतु आपका आवेदन, लोक सूचना अधिकारी, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के पत्र कं. 01–07/आर.टी.आई./अंत/837/1638 दिनांक 07.01.11 द्वारा, इस कार्यालय को अंतरित होकर दिनांक 10.01.11 को प्राप्त हुआ है । पत्र की एक प्रति आपको भी प्रेषित की गई है ।

तदनुसार आपको निम्न अनुसार बिन्दूवार जानकारी प्रेषित की जा रही हैं :–

बिन्दु कं. 1 :–

क्र.	दावें का नाम	सेवानिवृत्ति पूर्व दावा प्रस्तुत किये जाने की अवधि
1	पेंशन	13 माह
2	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी)	13 माह
3	समूह बीमा योजना (जीटीआईएस.)	1 माह
4	भविष्य निधि	3 माह
5	पेंशन का संराशीकरण	3 माह
6	व्यवस्थापन भत्ता	1 माह
7	अर्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान	1 माह

उपरोक्त व्यवस्था मंडल द्वारा जारी परिपत्र कं. 01–07/चार/स्था./34 दिनांक 21.12.93 द्वारा की गई है ।

बिन्दु कं. 2 :– सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले दावों के भुगतान की कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है तथापि मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गइ है (मंडल का आदेश कं. 01–13/25 दिनांक 26.4.96)

बिन्दु कं. 3 :– पेंशनधारी को जीवित होने का प्रमाण पत्र देने बावत निर्धारित प्रकिया – म.प्र.रा.वि.मं. एवं उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों में पेंशनधारी को पेंशन भुगतान करने की दो विधिया प्रचलित है ।

अ) पेंशनर द्वारा संबंधित लेखा इकाई में प्रतिमाह पेशन बिल एवं जीवित होने का प्रमाण देकर पेंशन प्राप्त करना (मुख्य लेखा अधिकारी, म.प्र.वि.मं. जबलपुर का परिपत्र कं. सी.ए.ओ./एक/312, दिनांक 11.7.77 और प्रमुख (लेखा), म.प्र.वि.मं.,जबलपुर का पत्र कं. 02–11/सहा.प्र./वालेप्र./486, दिनांक 10.3.99.)

ब) लेखा इकाईयों द्वारा पेंशनरों का पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ.) बैंक में जमा कर, बैंक से एग्रीमेंट के तहत कार्यवाही करना । इस प्रथा में मंडल एवं बैंक से एग्रीमेंट के तहत बैंक वर्ष में एक बार जीवित होने का प्रमाण पत्र मांगता है । यह सुविधा कुछ ही लेखा इकाईयों में उपलब्ध है ।

शेष अगले पृष्ठ पर

// 2 //

<u>पूर्व पृष्ठ से जारी.</u>

बिन्दू कं. 1 और 3 के तहत दर्शाये गये परिपत्र /आदेश की प्रतिया (5 पृष्ठों में) इस कार्यालय में उपलब्ध है, जो कि आपके द्वारा चाहे जाने पर आपको उपलब्ध करा दी जायेगी । इस हेतु कृपया प्रति पृष्ठ रू. 2/की दर से कुल रू. 10/– का भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि **क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि.** के नाम आहरित हो और **जबलपुर** में देय हो, इस कार्यालय को टिकट लगा हुआ पता सहित लिफाफा प्रेषित करें । यह राशि नगद रूप में भी जमा कराई जा सकती है ।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से असहमत अथवा असंतुष्ट है तो अधिनियम की धारा 19 (i) के अनुसार निर्धारित 30 दिन की अवधि में रू. 50/– के गैर न्यायिक स्टॉप पेपर अथवा कार्यालय में नकद राशि जमा कर श्री व्ही.के. तिवारी, अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव (कार्मिक), म.प्र.पा.ट्रॉ. कं.लिं, .ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, जबलपुर के समक्ष अपील कर सकते है । अपीलीय अधिकारी का फोन नं. 0761–2702036 है । यह राशि भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि **<u>"क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि."</u> को <u>"जबलपुर"</u>** में देय हो,, द्वारा भी प्रेषित कर के जमा कराई जा सकती है ।

(आर.एन.झा)
लोक सूचना अधिकारी
कार्या.– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वित्त/लेखा)
म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर
फोन नं. 0761–2702126

प्रतिलिपि:–

1/ लोक सूचना अधिकारी, म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल, शक्ति भवन, जबलपुर को पत्र कं. 01–07/आर. टी.आई./अंत/837/1638 दिनांक 07.01.11 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2/ अपीलीय अधिकारी, कार्या. अतिरिक्त सचिव (कार्मिक), म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि.,जबलपुर ।
3/ क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि.,जबलपुर ।
– सूचनार्थ ।

सही/–
(आर.एन.झा)
लोक सूचना अधिकारी
कार्या.– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वित्त/लेखा)
म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर
फोन नं. 0761–2702126

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

क्रमांक 01–07/ जबलपुर, दिनांक

प्रति

अतिक्ति सचिव,
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि. वि. कं. लि.,
इन्दौर ।

विषयः– पेंशनरों से प्रतिमाह जीवित रहने का प्रमाण पत्र मंगाने के संबंध में ।

00

म. प्र. विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ दि. 30.10.10 के चर्चा के दौरान संघ के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय लेखाधिकारी, इन्दौर द्वारा पेंशनरों से प्रतिमाह जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही पेंशन का भुगतान किया जाता है।

पूर्व से ही सभी पेंशनरों को पेंशन का भुगतान बैंकों के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित बैंकों के द्वारा पेंशनरों का जीवित रहने का प्रमाण पत्र अपने नियमों के तहत प्राप्त कर पेंशन का भुगतान किया जाता है। कृपया उक्त परिप्रेक्ष्य में संघ द्वारा उठाये गये बिन्दु पर जांच कर आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)एक
म.प्र.रा.वि.मं.,जबलपुर

क्रमांक 01–07/ ५५६५ जबलपुर, दिनांक 1-11-10

प्रतिलिपिः–

✓ प्रांतीय महासचिव, म.प्र.विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ, जबलपुर ।

1/11/10

अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)एक
म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल

क्रमांक 02–01/निदे0 (वि0एवं ले0)/04 जबलपुर, दिनांक 23-02-11

परिपत्र

वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार मंडल के अधिकांश पेंशनभोगी सीधे बैंक से पेंशन नहीं लेते हैं, वह क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय से पेंशन भुगतान के लिये प्रत्येक माह में पेंशन देयक के साथ जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात मासिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करते हैं ।

मंडल द्वारा ऐसे पेंशन भोगियों के पेंशन भुगतान की उपरोक्त प्रकिया की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पेंशनरों को प्रत्येक माह अपने पेंशन देयक के साथ जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असुविधा होती है ।

अतएव मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे पेंशनरों को प्रत्येक माह में पेंशन देयक एवं जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा । अब उन्हें अपना पेंशन देयक जीवित होने का प्रमाण पत्र सहित वर्ष में एक बार प्रत्येक वर्ष के माह अप्रैल में देना होगा । पेंशन देयक का प्रपत्र इस परिपत्र के साथ संलग्न है । यदि वर्षावधि में पेंशन सारांशीकरण, फिर से पेंशन चालू करने हेतु **(Restoration),** पेंशन के पारिवारिक पेंशन में परिवर्तन, दण्ड के प्रारंभ/अंत जिसमें पेंशन घटाये / बढायें जाने के कारण से कुल पेंशन राशि में बदलाव होता है, तो पुनरीक्षित देयक देना आवश्यक होगा ।

यदि किसी पेंशनर की पेंशन वित्तीय वर्ष के मध्य में स्वीकृत होती है तो वह अपना प्रथम देयक पेंशन लागू होने के माह से उसी वित्तीय वर्ष के माह मार्च तक की अवधि का पेंशन देयक प्रस्तुत करना होगा । उदाहराणार्थ किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति माह जनवरी में होती है तो प्रथम पेंशन देयक माह फरवरी से 31 मार्च तक की अवधि का होगा तत्पश्चात आगामी वर्ष के लिये माह अप्रैल से एक वर्ष की अवधि जो कि माह मार्च तक होगी का देयक जीवित होने के प्रमाण पत्र के साथ देना होगा ।

समय समय पर पेंशनरों को दी जाने वाली मंहगाई राहत एवं पेंशन में अन्य बदलाव (ऊपर अंकित कारणों को छोड़कर) की गणना क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालयों के द्वारा की जावेगी । इस हेतु पेंशनरों से पुनरीक्षित पेंशन देयक प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

पेंशनरों को सही पेंशन राशि का भुगतान हो इसकी जबावदारी क्षेत्रीय लेखाधिकारी की होगी । बिलों के एवं प्रमाण पत्र के प्राप्त न होने पर पूर्व स्थापित नियमानुसार पेंशन का भुगतान नहीं होगा ।

उक्त निर्देश पेंशन, परिवारिक पेंशन एवं वार्षिकी वृति पेंशन **(Annuity pension)** पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से प्रभावशील होगें एवं आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेंगें ।

पेंशन भुगतान संबंधी अन्य निर्देश यथावत रहेंगें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निदेशक (वित्त)
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल,जबलपुर

94250-59885

देयक

पेंशन/परिवार पेंशन/वार्षिकी वृति (Annuity)पेंशन

1. पेंशन भोगी का नाम :________________

2. पता :________________

3. पेंशन स्वीकृति आदेश कमांक एवं दिनांक :________________

4. पेंशन की अवधि :__________से __________ तक

5. पेंशन/परिवार पेंशन की राशि :________________

6. पेंशन पर देय महंगाई राहत की राशि : समय–समय पर देय।
7. पेंशन दावे की कुल राशि :________________

8. वार्षिकी वृति (Annuity) पेंशन स्वीकृति आदेश कमांक एवं दिनांक :________________

9. मासिक वार्षिक वृति पेंशन की राशि :________________

10. वार्षिक वृति पेंशन :__________से __________ तक

[illegible]
दावे की कुल राशि

12. पेंशन/वार्षिक वृति पेंशन की राशि :________________

प्रमाण पत्र :– एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि मैं आज दिनांक तक कही सेवारत नहीं हूं, न ही मैंने पुनर्विवाह किया है। न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को मंडल में अनुकंपा आधार नियुक्ति प्राप्त हुई है।

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ________________आज दिनांक तक जीवित है एव न तो वह कही सेवारत है न ही उनके द्वारा पुनर्विवाह किया गया है।

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

साथियों,

सादर अभिवादन, कर्म ही पूजा हैं और पूजा पूरे मन से की जाती हैं जिसका प्रतिफल समग्र रूप से सार्थक होकर हर दृष्टि से हितकारी होता हैं, फिर जीवन का हो या चाहे कोई क्षेत्र हो।

अपने कार्य, अपने संगठन, अपने समाज व अपने परिवार के प्रति सदैव सजग रहे, अपनी सोच सकारात्मक रखें एवं पुरूषार्थ में कमी न आने दे विजयश्री हर क्षेत्र में आपकी शोभा बढाएगी।

रतिपाल यादव
प्रांतीय सचिव, इन्दौर

तकनीकी कर्मचारियों का सही मुल्यांकन हो

विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग हैं जिस पर सारे विभाग के कार्य निर्भर हैं। मिल, कारखाने, रेल व्यवस्था, संचार व्यवस्था, युद्ध सामग्री बनाने के कारखाने एवं सामान्य जनजीवन इसी विभाग पर निर्भर हैं यानि अगर विद्युत व्यवस्था बाधित हुई तो सारे प्रगति रथ के पहिए स्वतः रूक जाऐंगे। विडंबना ये हैं कि विद्युत व्यवस्था ठीक हो तो कोई भी तारीफ नहीं करता इसके उलट यदि किसी कारणवश विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाए कारण कोई भी हो सकता हैं जैसे कि लोड शेडिंग या आंधी तुफान की वजह से तो आम जन विद्युत विभाग को कोसने लगता हैं जैसे कि विद्युत कर्मी ने जानबूझकर बिजली बंद की हो, लेकिन आम जन यह नहीं जानता कि विद्युत कर्मी विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर आम जन को विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए कार्य करता है।

आज जरूरत हैं कि विद्युत कर्मी के कार्य का सही मूल्यांकन हो क्योकि उसके कार्य पर आने का समय तो निश्चित होता हैं लेकिन जाने का नहीं। तकनीकी कर्मचारी संघ इस दिशा में कार्य कर रहा है। साथियों सुरक्षा का पहले ध्यान रखें क्योकि

हर पल कीमती है दोस्तों, खो मत देना नादानी में।
वक्त गया तो क्या रहा, इस लम्बी जिन्दगानी में।।

रामकेवल यादव
रीजनल सचिव, इन्दौर

राधेश्याम पाटीदार

सदस्य : अभिकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब

अभिकर्ता : भारतीय जीवन बीमा, ओरिएटंल इंश्योरेन्स, पोस्ट आफिस

जीवन बीमा, मेडिक्लेम, एम.आई.एस., किसान विकास पत्र एवं एन.एस.सी. के लिए संपर्क करें

[illegible]

निवास : 190, [illegible]

फ़ोन : 07272-251389, 251689 (निवास) 258301, मोबाइल 98273-50621, 94071-32241

'बिजली की महाबचत-पर्यावरण की सुरक्षा'

सी.एफ.एल. और एल.ई.डी. बल्ब द्वारा बिजली की बचत के साथ बिल की भी बचत करें।

क्र.				
1.	कार्य के घण्टे	1000 घंटे	7000 घंटे	40,000 घण्टे
2.	वॉटेज	60 वॉट	15 वॉट	7 वॉट
3.	40,000 घंटे उपयोग करने पर बल्ब की संख्या	40 नं.	6 नं.	1 नं.
4.	बल्ब की कीमत (40,000 घंटे उपयोग करने पर)	400/- (10 रु. प्रतिनग)	900/- (150 रु. प्रतिनग)	800/- (1000 रु. प्रतिनग)
5.	बिजली की खपत (40,000 घंटे में)	2400 यूनिट	600 यूनिट	280 यूनिट
6.	विद्युत खर्च (5/- प्रति यूनिट)	12,000 रुपये	3000 रुपये	1400 रुपये
7.	बार-बार बंद/चालू करने का प्रभाव	प्रभावित जल्दी (बल्ब फ्यूज हो सकता है)	प्रभावित कम (बल्ब फ्यूज होने का खतरा)	प्रभावित नहीं
8.	ल्यूमन प्रति वाट	10 ल्यूमन	40 ल्यूमन	80 ल्यूमन
9.	कॉर्बन हाइऑक्साइड CO_2 उत्सर्जन (पर्यावरण को नुकसान)	65 ग्राम / घंटा	16 ग्राम / घंटा	नगण्य
10.	अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन	हानिकारक प्रभाव ज्यादा	कम हानिकारक प्रभाव	नहीं होता है।
11.	हीट लोड (ए.सी. के लिए)	अधिक	कम	अत्यंत कम

मृत्यु होने पर राहत

क्र.	विवरण	प्राधिकारी	सीमा
1.	सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।	आहरण एवं वितरणकर्ता अधिकारी, कर्मचारी की मृत्यु के 15 दिन के अंदर राशि आहरित कर उसका भुगतान करेंगे	अनुग्रह राशि का भुगतान कर्मचारी के आखिरी 6 माह के वेतन के बराबर होगा जिसकी अधिकतम सीमा 25000/- रूपये होगी।

परिपत्र

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

पत्र क्र. 7714 दिनांक 18/8/2007

कम्पनी क्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सा प्रकरणों के तहत गंभीर बीमारी जैसे हृदय की सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण एवं कैंसर के उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल के चिकित्सा दिए गए एस्टीमेट के 75 प्रतिशत भुगतान हेतु सी.एम.डी. को अधिकृत किया गया है। उपरोक्त चिकित्सा हेतु कम्पनी द्वारा अधिकतम भुगतान रू. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) तक किया जावेगा। कं. के अतिरिक्त सचिव की ओर से यह आदेश पत्र क्र. 7714 दि. 18/8/2007 के द्वारा पारित एवं प्रेषित किया गया है।

दुर्घटना होने पर विशेष अयोग्यता अवकाश

नियम 39 के आधीन सरकारी कर्मचारी (अस्थायी अथवा स्थायी) जो कि किसी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कार्य के योग्य न हो, को समकक्ष किसी सिविल पोस्ट पर अटैच करने का प्रावधान है। इस हेतु विशेष योग्यता अवकाश की पात्रता अधिकृत चिकित्सक के अनुमोदन पर आधारित होगा। विशेष अयोग्यता अवकाश हेतु सारे मामले नियम 39 एवं 40 के तहत सरकार के वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते हैं।

अस्पताल अवकाश - भर्ती अधिकारी अस्पताल अवकाश चपरासी एवं सुरक्षा सैनिक (स्थायी) को दे सकता है। यह अवकाश सरकारी कर्मचारी को उचित अधिकारी द्वारा अर्जित अवकाश अथवा अर्धवेतन अवकाश के रूप में निर्धारित अवधि हेतु प्रदान किया जा सकता है। यह अवकाश छुट्टियों के खाते में समायोजन योग्य नहीं है किन्तु अन्य छुट्टियों में जोड़ा जा सकता है।

अध्ययन अवकाश - अध्ययन अवकाश किसी सरकारी कर्मचारी को भारत में अपना विदेश में किसी विशेष विषय पर अध्ययन हेतु अथवा विशेष ट्रेनिंग हेतु दिया जाता है।

'बिजली की महाबचत-पर्यावरण की सुरक्षा'

सी.एफ.एल. और एल.ई.डी. बल्ब द्वारा बिजली की बचत के साथ बिल की भी बचत करें।

क्र.	आधार	साधारण फिलामेंट बल्ब	सी.एफ.एल. बल्ब	एल.ई.डी. बल्ब
1.	कार्य के घण्टे	1000 घंटे	7000 घंटे	40,000 घण्टे
2.	वॉटेज	60 वॉट	15 वॉट	7 वॉट
3.	40,000 घंटे उपयोग करने पर बल्ब की संख्या	40 नं.	6 नं.	1 नं.
4.	बल्ब की कीमत (40,000 घंटे उपयोग करने पर)	400/- (10 रु. प्रतिनग)	900/- (150 रु. प्रतिनग)	800/- (1000 रु. प्रतिनग)
5.	बिजली की खपत (40,000 घंटे में)	2400 यूनिट	600 यूनिट	280 यूनिट
6.	विद्युत खर्च (5/- प्रति यूनिट)	12,000 रुपये	3000 रुपये	1400 रुपये
7.	बार-बार बंद/चालू करने का प्रभाव	प्रभावित जल्दी (बल्ब फ्यूज हो सकता है)	प्रभावित कम (बल्ब फ्यूज होने का खतरा)	प्रभावित नहीं
8.	ल्यूमन प्रति वाट	10 ल्यूमन	40 ल्यूमन	80 ल्यूमन
9.	कॉर्बन डाइऑक्साइड CO_2 उत्सर्जन (पर्यावरण को नुकसान)	65 ग्राम / घंटा	16 ग्राम / घंटा	नगण्य
10.	अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन	हानिकारक प्रभाव ज्यादा	कम हानिकारक प्रभाव	नहीं होता है।
11.	हीट लोड (ए.सी. के लिए)	अधिक	कम	अत्यंत कम

परिपत्र

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर

पत्र क्र. 01-01/IV/486 दिनांक 29/5/03

जो कर्मचारी अधिकारी कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावेगी, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा में लगने वाला व्यय का 100 प्रतियत भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त सहमति के आधार पर चिकित्सा यदि सरकारी अस्पताल अथवा राज्य से बाहर प्राइवेट अस्पताल में कराई गई हो जो मान्यता प्राप्त हो उसका 100 प्रतिशत भुगतान किया जावेगी।

(अ) दुर्घटना ग्रस्त कर्मचारी की नियमानुसार एफ.आई.आर. रजिस्टर्ड नाम एवं दुर्घटना का पूर्ण विवरण दिया जाना अति आवश्यक है एवं किसके द्वारा लापरवाही की गई है उसका पूर्ण विवरण दिया होना आवश्यक है।

(ब) यदि विवेचना में जानकारी झूठ या असत्य सावित होती है या कोई दुर्भावना से ग्रस्त रिपोर्ट साबित होती है, जिसके तहत झूठे वाये की रकम का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। उसकी पूरी रिकवरी / कर्मचारी अधिकारी के खाते से कर ली जावेगी।

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल

30/8/96-01-01/पांच / 1768 हिन्दी में काम दिनांक 26/8/96

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के द्वारा आदेश किया गया है कि सभी कार्य हिन्दी में किये जावेंगे एवं सभी आदेश पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जायेगा।

With Best Compliments From

NEELA ENTERPRISES

4, Station Road, DEWAS-455 001 (M.P.)

Ph.: 07272 - 222503, 405056 E.mail : neelaent@gmail.com

Certified ISO 9001 by BVQi

Authorised Distributers

PHILIPS | Finolex | SIEMENS | POLYCAB

"रिमोट के भरोसे न रहे"

आइये देखे स्विच से सीधे बंद न करने पर विद्युत उपकरणों में अनावश्यक कितनी बिजी खर्च होती है -

क्र.	उपकरण का नाम	औसतन पॉवर की क्षमता रिमोट से बंद रहने पर	औसम यूनिट खपत 10 घंटे-दिन	यूनिट खपत (वार्षिक)	बिजली की कीमत (5 रु. प्रति यूनिट दर से) रु. में
1.	टी.वी.	3 वॉट	0.03 यूनिट	10.95 यूनिट	54.75
2.	पर्सनल कम्प्यूटर मॉनीटर	2 वॉट	0.03 यूनिट	7.30 यूनिट	36.30
3.	वी.सी.आर., डी.वी.डी.	5 वॉट	0.05 यूनिट	18.25 यूनिट	91.25
4.	ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन	6 वॉट	0.06 यूनिट	21.90 यूनिट	109.50
5.	प्रिंटर	1 वॉट	0.01 यूनिट	6.65 यूनिट	18.25
6.	डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर	4 वॉट	0.04 यूनिट	34.60 यूनिट	73.00
7.	एयर-कंडीशनर (रिमोट कंट्रोल)	3 वॉट	0.03 यूनिट	10.95 यूनिट	54.75

अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना

मंडल के परिपत्र क्र. 01-07/4822 दिनांक 05/8/2006 द्वारा मृतक कर्मचारी / अधिकारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के अनुसार मण्डल के कर्मचारी को उसे सौंपे गए कार्य के दौरान (सुरक्षा उपायों का उचित ढंग से पालन करने के बावजूद) दुर्घटना, में मृत्यु अथवा हत्या होने पर, यह मानते हुए कि कर्मचारी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने तक मण्डल की सेवा करता, मृतक कर्मचारी, अधिकारी की मृत्यु तिथि के ठीक अगले दिन से उसकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक की तिथि तक आश्रितों को मृत कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें से परिवार पेंशन की राशि समायोजित किये जाने का प्रावधान हैं। योजना दिनांक 05/08/2006 से प्रभावशील है।

परिपत्र

म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि. वि. कं. लि. जबलपुर

पत्र क्र. 8924 दिनांक 3/10/2007

अतिरिक्त सचिव, कम्पनी के द्वारा 50,000/- से 1,50,000/- रु. चिकित्सा हेतु अधिकृत किया गया है। कम्पनी द्वारा बोर्ड के आदेश क्र. 8924 दिनांक 3/10/2007 के तहत कम्पनियों के सी.एम.डी. को कर्मचारियों जो कि ड्यूटी पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, के उत्तम उपचार हेतु मामले की स्थिति के अनुसार बिलों के शतप्रतिशत भुगतान हेतु अधिकृत किया गया है। रुपये 50,000/- तक बिलों के भुगतान हेतु रीजनल ई.डी./सी.ई. एवं रुपये 50,000/- से रुपये 1,50,000/- रुपये तक अतिरिक्त सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर

मण्डल आदेश क्रमांक - 793 दिनांक 26/6/1999 एवं म.प्र. सिविल सर्विस चिकित्सा अधिनियम 1956 में निहित निर्देशानुसार कार्यरत कर्मचारियों को कार्य करने के दौरान हुई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप चिकित्सा में लगने वाली सामग्री जिसको क्रय किया गया है उसका भुगतान मण्डल नियमों के अंतर्गत किया जायेगा, जो निम्नानुसार विभिन्न ड्रम्पलेट्स, दुर्घटना होने पर लगने वाली सामग्री, ट्रिल बिट्स, टेप्स बेन्डेज, स्प्लेनर एवं अन्य ड्रेसिंग मटेरियल, थमर बेल्ट, निडिल स्टेप्लर एवं केथोटर आदि।

परिपत्र

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

आदेश - 23 पत्र क्र. 01-0-/IV/488 दिनांक 29/5/2009

1. उपरोक्त सहमति के आधार पर बोर्ड द्वारा यह निर्दिष्ट है कि कर्मचारी को कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के कारण अच्छी चिकित्सा देने हेतु खर्च का 100 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा।
2. यह कि एस.ई. / (ओ. एण्ड एम) / सिटी / ई.एच.टी./टी.एण्ड सी./ से संबंधित एस.ई. (आपरेशन), मेन्टेनेन्स, पावर स्टेशन, प्रोजेक्ट मेंकार्यरत कर्मचारी यदि दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसे रु. 10,000/- का तुरन्त भुगतान किया जावेगा एवं आगे मेडिकल चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर समायोजित किया जावेगा।
3. उपरोक्त सहमति अनुसार कम्पनी के सी.एम.डी. (सम्बन्धित बोर्ड मेम्बर) जो चिकित्सा में खर्च हुई राशि का 100 प्रतिशत भुगतान प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत है, उपरोक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक का अनुमोदन कर भुगतान के आदेश म.प्र. सिविल सेवा 1958 अधिनियम किया जाये।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर

पत्र क्र. 951 दिनांक 5/2/2007

1. मण्डल आदेश क्र. 01-01-एट-488 दिनांक 29/5/03 अधीक्षण अभियंता को यह आदेशित किया है कि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होता है तो उसे चिकित्सा हेतु रु. 10.000/- दिये जावे, जो बिलिंग प्रतिदेयक में आगे जाकर समायोजित किया जावेगा।
2. मंडल नियमों के अंतर्गत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को यह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिकृत किया गया है कि कर्मचारी यदि गंभीर दुर्घटना से ग्रस्त है तो उसे 10,000/- से 50,000/- रु. तक भुगतान किया जा सकता है। जो आगे चिकित्सापूर्ति देयक में समायोजित किया जावेगा।

परिपत्र

म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि. कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

पत्र क्र. 15340 दिनांक 04/3/2009

राज्य से बाहर चिकित्सा कराने की अनुमति विषयक

उपरोक्त विषयांतर्गत ध्यानाकर्षण किया जा रहा है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि कर्मचारी/अधिकारी द्वारा राज्य से बाहर चिकित्सा कराने की अनुमति हेतु जिला चिकित्सालय के प्रोफेसर/विशेषा द्वारा अनुशंसा (रिफर) कराकर प्रकरण आपके माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित कर रहे हैं। मंडल के सदाचित परिपत्र के अनुसार मेडीकल कॉलेज के प्रोफेसर/विशेषज्ञ/विभागाध्यक्ष द्वारा रिफर किया जाना आवश्यक है। मंडल के उक्त परिपत्र में कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को निम्नानुसार दो सुविधायें प्रदान की गई हैं।

1. यदि कर्मचारी/अधिकारी मेडीकल कॉलेज के प्रोफेसर/विशेषज्ञ/विभागाध्यक्ष के द्वारा मंडल के अधिकृत चिकित्सालय हेतु अनुशासित हैं, तो कर्मचारी/अधिकारी को 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राशि की पात्रता होगी।
2. यदि कर्मचारी/अधिकारी मेडीकल कॉलेज के प्रोफेसर/विशेषज्ञ द्वारा अनुशासित नहीं है, लेकिन मंडल के अधिकृत चिकित्सालय में चिकित्सा ग्रहण करता है, तो उसे 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

अतः यदि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर/विशेषज्ञ/विभागाध्यक्ष के द्वारा रिफर नहीं है एवं नही मंडल के अधिकृत चिकित्सालयों में चिकित्सा कराते हैं ऐसी स्थिति में उन्हें उपरोक्त दोनों सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।

अतः इस पत्र की प्राप्ति के पश्चात प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में यदि जिला चिकित्सालय के प्रोफेसर/विशेषज्ञ द्वारा मंडल के अधिकृत चिकित्सालयों को रिफर किये गये संबंधित प्रकरण प्रेषित किये जाते हैं, तो बिना किसी पत्राचार के 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राशि के आदेश पारित कर दिये जायेंगे एंव यदि जिला चिकित्सालय के प्रोफेसर/विशेषज्ञ द्वारा मंडल के अधिकृत चिकित्सालयों में रिफर नहीं किये गये हैं, तो ऐसे प्रकरणों मेंकर्मचारी/अधिकारी को किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं होती है। अतः ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरणों का सूक्ष्म अवलोकन करके कर्मचारी/अधिकारी को सुविधाओं की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के पश्चात उपरोक्तानुसार ही प्रकरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि अनावश्यक पत्राचार एवं समय की हानि न हो सके।

परिपत्र

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर

पत्र क्र. 01-01/IV/486 दिनांक 29/5/03

जो कर्मचारी अधिकारी कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावेगी, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा में लगने वाला व्यय का 100 प्रतियत भुगतान किया जावेगा।

उपरोक्त सहमति के आधार पर चिकित्सा यदि सरकारी अस्पताल अथवा राज्य से बाहर प्राइवेट अस्पताल में कराई गई हो जो मान्यता प्राप्त हो उसका 100 प्रतिशत भुगतान किया जायेगी।

(अ) दुर्घटना ग्रस्त कर्मचारी की नियमानुसार एफ.आई.आर. रजिस्टर्ड नाम एवं दुर्घटना का पूर्ण विवरण दिया जाना अति आवश्यक है एवं किसके द्वारा लापरवाही की गई है उसका पूर्ण विवरण दिया होना आवश्यक है।

(ब) यदि विवेचना में जानकारी झूठ या असत्य साबित होती है या कोई दुर्भावना से ग्रस्त रिपोर्ट साबित होती है, जिसके तहत झूठे दावे की रकम का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। उसकी पूरी रिकवरी / कर्मचारी अधिकारी के खाते से कर ली जावेगी।

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल

30/8/96-01-01/पांच / 1768 हिन्दी में काम दिनांक 26/8/96

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के द्वारा आदेश किया गया है कि सभी कार्य हिन्दी में किये जावेंगे एवं सभी आदेश पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जायेगा।

हमें ऊर्जा संरक्षण क्यों करनी चाहिए ?

1. ऊर्जा उत्पादन होने से पूर्व ही हम इसका उपयोग कर देते हैं। (अर्थात कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऐसे स्त्रोत हैं जिसका अत्याधिक उपयोग होता है, जबकि इन्हें एकत्र होने में हजारों साल लग जाते हैं।)
2. ऊर्जा संसाधन सीमित हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में शेष उपलब्ध ऊर्जा के स्त्रो में यही शेष है – तेल– 40 वर्ष तक उपलब्ध, प्राकृतिक गैस– 60 वर्ष तक उपलब्ध, कोयला–200 वर्ष तक उपलब्ध, विश्व ऊर्जा संसाधन का लगभग 1 प्रतिशत ही भारत में पायशा जाता है जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 6 प्रतिशत भारत में निवास करती है।
3. हम जिन ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश का दोबारा उपयोग एवं पूरारंभ नहीं हो सकता। (उपयोग होने वाले ईधन में से 80 प्रतिशत ईधन गैस पुनरांरभ ऊर्जा स्त्रोतों का खर्च करता है)
4. जब हम ऊर्जा की बचत करते हैं तो देश की अधिक धनराशि की भी बचत करते हैं। (भारत के कच्चे तेल की जरूरत में से लगभग 75 प्रतिशत को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 150,000 करोड़ रुपये है)
5. ऊर्जा की बचत अर्थात् ऊर्जा का उत्पादन – (एक यूनिट ऊर्जा की बचत दो यूनिट ऊर्जा उत्पादन के समान है)
6. प्रदूषण को कम करने के लिए ऊर्जा की बचत– (एक का उत्पादन एवं उपयोग से अत्यादिक अनुपात में वायु प्रदूषण और 83 प्रतिशत से भी अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए घातक होती है)
7. कल के उपयोग के लिए आज ऊर्जा संरक्षण हमारा कर्त्तव्य है।
8. क्या आप जानते हैं– एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा संरक्षण करने का प्रभावशाली तरीका है।

''तो आइये संकल्प लें और ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बनायें''

'बिजली की महाबचत-पर्यावरण की सुरक्षा'

सी.एफ.एल. और एल.ई.डी. बल्व द्वारा बिजली की बचत के साथ बिल की भी बचत करें।

क्र.	आधार	साधारण फिलामेंट बल्व	सी.एफ.एल. बल्व	एल.ई.डी. बल्व
1.	कार्य के घण्टे	1000 घंटे	7000 घंटे	40,000 घण्टे
2.	वॉटेज	60 वॉट	15 वॉट	7 वॉट
3.	40,000 घंटे उपयोग करने पर बल्व की संख्या	40 नं.	6 नं.	1 नं.
4.	बल्व की कीमत (40,000 घंटे उपयोग करने पर)	400/– (10 रु. प्रतिनग)	900/– (150 रु. प्रतिनग)	800/– (1000 रु. प्रतिनग)
5.	बिजली की खपत (40,000 घंटे में)	2400 यूनिट	600 यूनिट	280 यूनिट
6.	विद्युत खर्च (5/– प्रति यूनिट)	12,000 रुपये	3000 रुपये	1400 रुपये
7.	बार–बार बंद/चालू करने का प्रभाव	प्रभावित जल्दी (बल्व फ्यूज हो सकता है)	प्रभावित कम (बल्व फ्यूज होने का खतरा)	प्रभावित नहीं
8.	ल्यूमन प्रति वाट	10 ल्यूमन	40 ल्यूमन	80 ल्यूमन
9.	कॉर्बन डाइऑक्साइड CO_2 उत्सर्जन (पर्यावरण को नुकसान)	65 ग्राम / घंटा	16 ग्राम / घंटा	नगण्य
10.	अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन	हानिकारक प्रभाव ज्यादा	कम हानिकारक प्रभाव	नहीं होता है।
11.	हीट लोड (ए.सी. के लिए)	अधिक	कम	अत्यंत कम

Talati Electric Works Pvt. Ltd.

Head Off. : 52, A. B. Road Dewas (M.P.) Ph.:07272 - 223521, 221721

AUTHORISED DISTRIBUTER

Ingersoll Rand Industrial Technologies | SANDVIK Coromant | SKF | CUMI | LMT FETTE

UG-6, Morya Center, 16/3, Race Course Road, Indore Ph.: 2539562

OPTION

In accordance with the Board's cicular 49 bearing No. 01-07/IV/ 1151-94/24 Jabalpur dtd. 03.08.95 related with the promotion of employees of Class IVth cader to the post of falling under Class III cadre)

1) I _____ Desig. _____ attached to _____ hereby opt to wish to continue in Class IVth post and retire attaning the age of 60 years which the age of superannuation meant for Class IVthcadre

OR

1) I _____ Desig. _____ attached to _____ wish to availed the oppourtunity of getting promotion to class IIIrd cadre and have to retire before attaning the age of 60 years just a day after my joining to class IIIrd cadre as the age of superannuation for class IIIrdcadre is 58 years.

Date _____

Place _____

Signature

Name of Employeee_____

Designation _____

Place of Posting _____

_____

इन्दौर क्षेत्र के पदाधिकारी

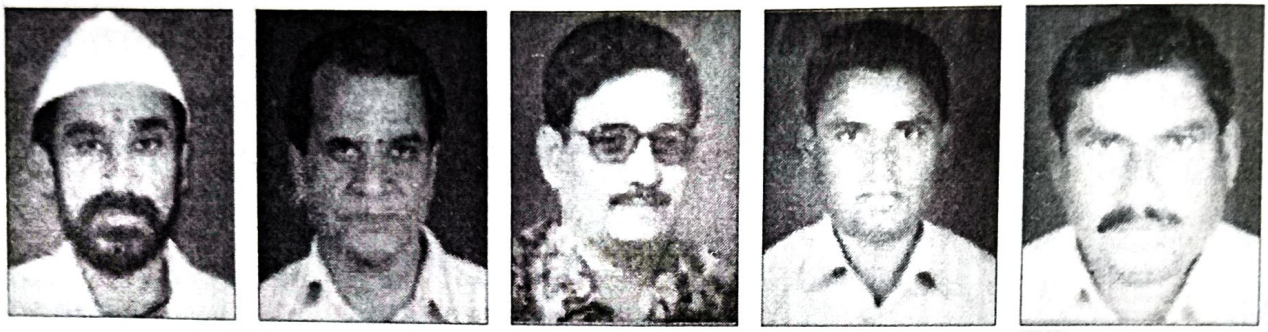

मंदसौर क्षेत्र के पदाधिकारी

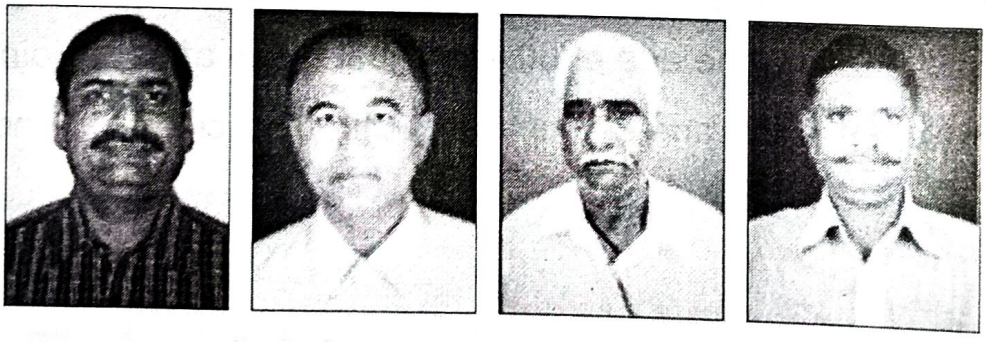

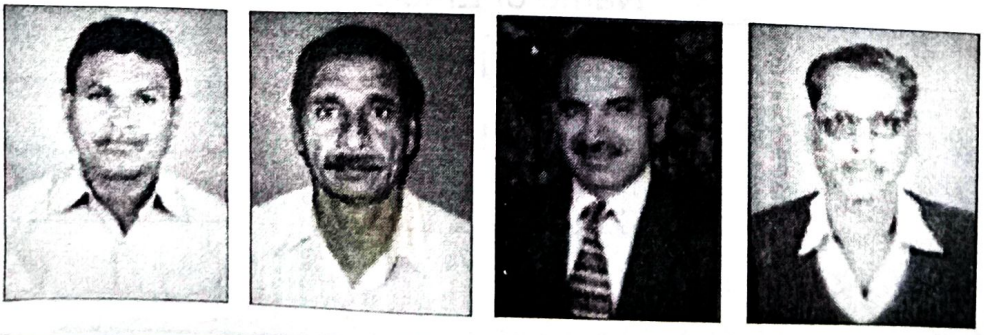

देवास-उज्जैन क्षेत्र के पदाधिकारी

संगठन की बात

आज सामर्थ्यवान जब जुल्म करता हैं तो कोई आवाज नहीं उठती। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। किसानों की आत्महत्या करने पर उनमें ही दोष ढूंढा जाता हैं । बडे बडे संस्थान अंर्तराष्ट्रीय कर्ज के लिए मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं। ठेकेदार रेट से कम मजदूरी प्रदान कर रहे हैं। जीने का हक छीना जा रहा हैं।

एक प्रेरक प्रसंग हैं पंजाब के श्री बंतसिंह ने बेटी के साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई। सामर्थ्यवानों ने उसके दोनों हाथ पैर तोड दिए। लेकिन उनकी आवाज नहीं दबा पाए। अपराधियों को उम्रकैद की सजा हुई। वक्त ने उनकी आवाज में संगीत का दर्द भर दिया वो घूम घूम कर तराने गाते हैं

असीं जड ना जुल्म दी छड डणी
साड्डी मावें जड न रहे।

अन्याय करने वाले से ज्यादा या कम सहने वाले का दोष नहीं होता। सामुहिक अन्याय का जवाब सामुहिक ही दिया जा सकता है। सामुहिक संघर्ष का नाम ही संगठन है। शालीन और अहिंसक संघर्ष से ही नतीजे निकलते हैं। एक व्यक्ति इतना संघर्ष कर सकता है तो सामूहिक संघर्ष क्यों नहीं किया जा सकता ?

उत्कृष्ट कार्य हेतु
विद्युत मंडल द्वारा पुरस्कृत कर्मचारी

श्री प्रमोद कुमार धल्ली

श्री महेश कुमार पटेल

श्री के. एन. विष्णु

म.प्र.वि.मं.तकनीकी कर्मचारी संघ
एक झलक

आकल्पन : मनोज कुमार शर्मा, देवास 9589749219
मुद्रण : ग्राफिक्स एण्ड आर्टस्, देवास, 9669747372